सहायक कलक्टर बस्सी जि. जयपुर

कैलाश — जगदीश

क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	
	19/03/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित। वादपत्र पर अंतिम बहस सुने छः माह से अधिक समय हो चुका है। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र पर पुनः अंतिम बहस की गई। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन करने के उपरान्त वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली है डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 19/3/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादी**

वादी:

1. कैलाशचन्द पुत्र बन्शीधर
2. लक्ष्मीदेवी पत्नि कैलाशचन्द
   समस्त जाति ब्राहमण
   निवासी ग्राम किशनपुरा
   तहसील बस्सी, जि.
   जयपुर।

प्रतिवादी:

1. जगदीश पुत्र रामसहाय
   जाति मीना ग्राम दोपुर तहसील
   बस्सी, जि. जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी
   जिला जयपुर

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधि. 1955

मुकदमा न0 193/2022 — निर्णय दिनांक 19.03.2024

1. पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित। वादी अधिवक्ता की वादपत्र पर एक पक्षीय बहस मे सुनी गयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है–
2. यह कि वादीगण ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया की विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 117/2 रकबा 1.2139. हैक्ट, 117 रकबा 1.0495 हैक्ट, 117/1 रकबा 0.4426 हैक्टेयर स्थित ग्राम किशनपुरा प.ह. पडासोली भू.अ.नि. टहटडा तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादीगण को उक्त भूमिवादग्रस्त को काश्त करने में बाधा नहीं डाले, न ही वादी को जबरन बेदखल करें, न ही पुख्ता निर्माण करे, एवं नही कोई तारफेन्सिंग को नष्ट करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।
3. प्रतिवादीगण की तलबी हेतू रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की पर्याप्त तामिल होने पर भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई।
4. वादी ने अपनी साक्ष्य में स्वयं वादी कैलाशचन्द पुत्र बन्शीधर वादी की साक्ष्य में समर्थन में गवाह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादीगण द्वारा और साक्ष्य पेश नही करने पर प्रकरण को अंतिम बहस हेतु नियत किया गया।
5. वादी अधिवक्ता की वादपत्र पर एक पक्षीय अंतिम बहस सुनी गयी।
6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने एवं वकील वादी द्वारा वादपत्र पर की गयी एक पक्षीय अंतिम बहस पर ध्यानपूर्वक मनन करने पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि भूमिवादग्रस्त खसरा नम्बर

खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(मुकुट सिंह)
सहायक-कलक्टर
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण